कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,सहिया देहरादून

Office of the Executive Engineer, Ty.Divi., PWD, Sahiya, Dehradun Uttarakhand
Phone/ Fax:- 01360-276595 E-mail: eepwdsahiyakalsi@gmail.com
Web-http://uk.pwd.gov.in

पत्रांक 1237 / 6सी0 दिनांक 29 / 7 /2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून
उत्तराखण्ड।

विषयः— जनपद देहरादून में विसोगीलानी से उटैल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा —नैहरा —पुनाहा मोटर मार्ग का निर्माण कि0मी0 1 से 5 तक। लम्बाई 4.700 कि0मी0 के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि 2.065 है0 वनभूमि की विधिवत स्वीकृति चाहने के सम्बन्ध में।

संदर्भः— सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एव वन मंत्रालय के पत्रांक स0 8बी/यु0सी0पी0/06/52/2016 एफ0सी0/1162 दिनांक 04.09.2020
प्रस्ताव सं0— FP/UK/ROAD/11427/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का सैद्वान्तिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त है। प्राप्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तो की अनुपालन आख्या पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के पत्र संख्या 5239/12—1 दिनांक 24.05.2023 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित **(छायाप्रति संलग्न)**। परन्तु उक्त कार्य परिवेश पोर्टल में फार्म A स्टेज।। में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। उक्त सम्बन्ध में पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र संख्या 710/6सी0 दिनांक 28.05.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः पुनः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त के संबंध में आप अपने स्तर से विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पोर्टल पर अपलोड की जा सकें।

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,सहिया

पत्रांक /
दिनांक /07/2024

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— अधीक्षण अभियन्ता, 9वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ता द्वितीय, अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— वनभूमि सहायक/खण्डीय अमीन, अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0,सहिया

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पंत्राक– 5239 / 12–1 दिनांक , चकराता 24 मई 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– **जनपद देहरादून में विसोगीलानी से उटैल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा–नैहरा–पुनाहा मोटर मार्ग का निर्माण कि0मी0 1 से 5 तक। लम्बाई 4.700 कि0मी0 के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि 2.065 है0 (FP/UK/Road/11427/2015)**

संदर्भ :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की सं0–8बी/यू.सी.पी./06/52/2016/एफ.सी./1162 दिनांक 04/09/2020

महोदय,

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई। जिसकी अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 सहिया द्वारा अपने पत्र सं0–251/6सी दिनॉक 28.02.2022 व पत्र सं0–1441/6सी दि 04.08.2022 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है –

क.सं	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.130 है0 गैर वानिकी भूमि (ग्राम थैना 0.385 है0 खसरा नं0 766 एवं उटैल 3.75 है0 सिविल खसरा नं0 335 एवं 368) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	प्रभाग द्वारा बिन्दु सं0–3(क) का अनुपालन किया जायेगा।
	(ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधे को रोपण किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग से पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट उच्च स्तर को प्रेषित किया जा चुका है। अधिसूचना उच्च स्तर से जारी की जानी अपेक्षित है।

NEW 3887

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

		अधिसूचना निर्गत होने पर पृथक से प्रेषित की जायेगी।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है, का प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–1)
4	शुद्व वर्तमान मूल्य : (क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 –एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दि. 5.2.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.065 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित शुद्व वर्तमान मूल्य (NPV) जमा किया जा चुका हैं। (संलग्नक–2) प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3)
5	प्रयोक्त अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 Tree से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त प्रर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
6	State govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stageII approval as per guideline para ii.2 the satate Govt will stricty monitor and encure that no further activity is carried out under such permission after the expire of one year from the date of issue of such permission.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	State govt. Will submit the Sub divisionl level committee proceedings under FRA with correct arca.	एफ0आर0ए0 पूर्व में प्रस्ताव में चस्पा है तथा संलग्न है। (संलग्नक–4)
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई– पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा कोष के खाते में जमा कर दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–5)

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

9	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रस्ताव में चस्पा है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगां।	तदैव
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	तदैव
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	तदैव
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	तदैव
15	संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	तदैव
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	तदैव
17	वन भूमि का उपयोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	तदैव
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	तदैव
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंधन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	तदैव
20	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	तदैव
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियो के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारों बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	तदैव

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेवारी होगी।	तदैव
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त शर्तो की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल https://parivesh-nic-in पर अपलोड कर दी जायेगी।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीया

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

संख्या– 5239 (1)/12-1 उक्त दिनांकित्।
प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया

Office of the Executive Engineer, Ty.Divi., PWD, Sahiya, Dehradun
Uttarakhand

Website- http://pwd.uk.gov.in **E-mail: eepwdsahiyakalsi@gmail.com**

पत्रांक : 251 /6सी0 दिनांक 28/ 02/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग चकराता,
कालसी,

विषयः– **जनपद देहरादून के अन्तर्गत विसोगीलानी से उटेल होते हुये थैना मदिर होकर काहा नेहरा पुनहा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.065 है0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक –2288 / 12–1 दिनांक 19.01.2022**

उपरोक्त विषयक सदंर्भित पत्र के क्रम मे आपके अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की सं0–8बी/यू.सी.पी./06/52/2016/एफ.सी./1162 दिनांक 04/09/2020 से निर्गत निर्देश तथा सैद्वान्तिक स्वीकृति में वणित 23 बिन्दुओं पर चाही गई बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित कि जा रही है।

क0 स0	बिन्दु जिनकी सूचना चाही गयी है	बिन्दुवार सूचना का विवरण
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	मान्य हैं।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	मान्य हैं।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोका अभिकरण की लागत पर 4.130 हे0 गैर वानिकी भूमि (ग्राम थैना 0.385 हे0 खसरा नं0 766 एवं उटैल 3.75 हे0 सिविल खसरा नं0 335 एवं 368) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिषत ओ प्रजाति के पौधे को रोपण किया जायेगा। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग से पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	वन विभाग द्वारा अनुपालन की कार्यवाही की जानी है। तदैव वन विभाग के नाम हस्तान्तरण नामान्तरण कर किया गया है। वनविभाग के नाम नामान्तरण हस्तान्तरण कर किया गया है।

	शुद्व वर्तमान मूल्य : (क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5 –1/1998–एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.065 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदी कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वांछित शुद्व वर्तमान मूल्य (NPP) जमा किया जा चुका हैं। (संलग्न) लागू नही हैं।
5	प्रयोक्त अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 Trces से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त प्रर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	अनुपालन किया जाएगा।
6	State govt. Will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stageII approval as per guideline para ii.2 the satate Govt will stricty monitor and encure that no further activity is carried out under such permission after the expire of one year from the date of issue of such permission.	अनुपालन हेतु अंकित।
7	State govt. Will submit the Sub divisionl level comittee proceedings under FRA with correct arca.	राज्य सरकार स्तर से वांछित।
8	परियोजना के तहत पयोता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई– पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में सीनांतरित/जमा किए जाएंगे।	वन विभाग द्वारा अनुपालन की कार्यवाही की जानी है।
9	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	तदानुसार ही FRA प्रेषित।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	अनुपालन किया जाएगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगां।	अनुपालन किया जाएगा।
12	केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजयीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
15	संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	सीमांकन किया गया है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
17	वन भूमि का उपयोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।

18	केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	मान्य हैं।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंधन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	मान्य हैं।
20	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	मान्य हैं।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियो के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण सीलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य हैं।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने राज्य सरकार /प्रयोक्त एजेसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य हैं।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाएगां।

अतः उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करे।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया